

छत्तीसगढ़ शासन  
वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन  
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर  
// आदेश //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक : 21.01.2020

क्रमांक एफ 10-44/2019/वाक/पांच-छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के उप-नियम (2) के प्रावधानों के अनुसरण में, विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-39/2017/वाक/पांच, दिनांक 04.09.2017 में संशोधन करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मुनाफाखोरी रोधी छानबीन समिति का निम्नानुसार गठन करता है :-

(1)	राज्य कर आयुक्त द्वारा नामित अधिकारी-अपर आयुक्त (स्थापना), राज्य कर, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर	-	सदस्य
(2)	मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर द्वारा नामित अधिकारी-अपर आयुक्त (प्रिवेंटिव), केन्द्रीय कर, जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, रायपुर	-	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(मरियानुस तिग्गा)  
अवर सचिव

पृ. क्रमांक एफ 10-44/2019/वाक/पांच, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 21.01.2020

- प्रतिलिपि :-
1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, भोपाल जोन, एडमिनिरट्रेटिव एरिया, अरेरा हिल्स होशंगाबाद रोड, भोपाल (MOPRO)
  2. राज्य कर आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर
  3. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी एवं उत्पाद शुल्क रायपुर भवन, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर
- की ओर सूचनार्थ।

*m.t.s.s*  
21-01-2020  
(मरियानुस तिग्गा)  
अवर सचिव